शाहजहांपुर पुलिस

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दि0- 03.11.2024

थाना कांट व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वार चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी किये 90 हजार रुपये व एक मोबाइल सहित 02 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित अपराधी व वारण्टियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के पर्यवेक्षण में व अपराध निरीक्षक काँट के नेतृत्व मे बडी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 10.08.2024 को वादी सुमित कुमार पुत्र श्री रामभजन गुप्ता निवासी ग्राम व पोस्ट जमौर जनपद शाहजहांपुर ने थाना काँट पर अज्ञात चोरो द्वारा दिनांक 09.08.2024 की रात्रि को वादी के घर में घुसकर अलमारी में रखे पैसे व REDMI NOTE 8 मोबाइल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 401/2024 धारा 331(4)/305 BNS बनाम अज्ञात चोरो के विरुद्ध पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार के द्वारा सम्पादित की जा रही है, घटना का सफल अनावरण करने एवं इन पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कड़े निर्देश दिये गये घटना का संज्ञान लेते हुए थाना स्थानीय पर टीम गठित की गयी, जिसके उपरान्त आज दिनांक 03.11.2024 को उ0नि0 कुलदीप कुमार मय हमराहीयान के द्वारा अभियुक्तगण 1. विकास पुत्र भूरेलाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम जमौर थाना काँट जनपद शाहजहांपुर, 2. पंकज पुत्र कमलेश उम्र करीब 19 वर्ष नि0ग्राम जमौर थाना काँट जनपद शाहजहांपुर को मय 90 हजार रुपये व एक अदद मोबाइल के साथ समय करीब 07.00 बजे पौलीटैक्निक कॉलेज गेट से करीब 100 मीटर पहले गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 401/2024 धारा 331(4)/305 BNS पंजीकृत है तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी है तथा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. विकास पुत्र भूरेलाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम जमौर थाना काँट जनपद शाहजहांपुर
2. पंकज पुत्र कमलेश उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम जमौर थाना काँट जनपद शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरणः—

1. मु0अ0सं0 401/2024 धारा 331(4)/305 व धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी

बरामदगी का विवरणः-

1. 90 हजार रुपये व एक अदद मोबाइल

पुतताछ का विवरण

अभियुक्तगण विकास व पंकज से पूछने पर विकास ने बताया कि साहब मैने तथा मेरे साथी पंकज ने मिलकर दिनाँक 08.08.24 की रात्रि में अपने ही गाँव के सुमित पुत्र रामभजन के घर मे से एक मोबाईल रैडमी नोट 08 रंग आसमानी व एक लाख साठ हजार रुपये चोरी किये थे चोरी किये गये मोबाइल को आज मैं ओर पंकज बेचने के लिये आये थे तभी आपने पकड लिया ओर जो मुझसे पैसे आज 90000/- रू0 बरामद हुए है यह उन्ही चोरी किये रुपयों मे से है बाकी के रुपये खर्च कर लिये थे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण –

1 उ0नि0 कुलदीप कुमार

2 प्रशिक्षु उ0नि0 रामू

3 हे0का0 320 राजकुमार

4 का0 2143 शुभम कुमार

सर्विलांस सेल टीम

1 का0 शिवम कुमार

2 का0 प्रभात

3 का0 मुकुल खोखर